



चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनांक 18.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा (थाना मारकुंडी द्वारा ग्राम कोल कालोनी देवी पांडाल मे, थाना सरधुवा द्वारा ग्राम पनौती में, थाना भरतकूप द्वारा थाना परिसर में, थाना बरगढ़ द्वारा गांव हड़हा मे, थाना मऊ द्वारा बस स्टैंड व रामलीला मैदान गल्ला मंडी में) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 07 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(1). उ0नि0 श्री जटाशंकर शुक्ला मय हमराह आरक्षी विशाल यादव थाना बहिलपुरवा द्वारा मु0नं0 597/2025 मु0अ0सं0 42/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त लवकुश पुत्र चुन्नीलाल निवासी ग्राम बरूई थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह मय हमराह आरक्षी अखिलेश तोमर थाना भरतकूप द्वारा मु0सं0 652/2018 एनसीआर नं0-171/2017 धारा 323,504,506 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त रमेश पुत्र मोतीलाल पाल निवासी भगवतपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह आरक्षी अजीजउद्दीन व पीआरडी मूलचन्द थाना मानिकपुर द्वारा मु0अ0सं0 253/2007 धारा 323/325 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त लालमन कोल पुत्र लालता कोल नि0 ग्राम गिदुरहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट व अ0सं0 158/2020 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के वारण्टी अभियुक्त रामकलेश पुत्र स्व0 रामानन्द नि0 जिगनवा गिदुरहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव मय हमराह आरक्षी नितेश पाण्डेय थाना पहाडी द्वारा मु0नं0 1575/2020 अ0सं0 53/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त ओंकारनाथ पुत्र छोटेलाल यादव निवासी ज्वाला पुरवा मजरा कादरगंज जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). उ0नि0 श्री इमरान खान मय हमराह आरक्षी शुभम त्रिपाठी द्वारा 1. मु0नं0 95/19 अ0सं0 66/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम 2. मु0नं0 02/21 अ0सं0 263/20 धारा 457/380/411 भादवि क्रमशः अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र रमेश तिवारी निवासी ग्राम परदवां थाना मऊ जनपद चित्रकूट 2. महन्तलाल पुत्र पतीलाल निवासी ग्राम मनकुंवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). आज दिनांक 18.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय के पर्यवेक्षण में थाना बरगढ़ क्षेत्र के ग्राम हड़हा में बाल विवाह उन्मूलन जागरूकता अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों एवं बाल अधिकारों के संबंध में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह की सूचना तत्काल पुलिस/चाइल्ड लाइन को देने एवं बाल विवाह जैसी कुरीति को समाज से समाप्त करने हेतु शपथ दिलाई गई।

उक्त अभियान में प्रभारी निरीक्षक थाना AHT श्री राकेश कुमार सिंह, चाइल्ड लाइन प्रभारी श्री विशेष कुमार त्रिपाठी, वन स्टॉप सेंटर प्रभारी श्रीमती प्रेरणा श्रीवास्तव, उ0नि0 थाना बरगढ़ श्री चन्द्रमौल शर्मा, उ0नि0 श्री संतोष कुमार त्रिपाठी थाना AHT, उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार राय थाना बरगढ़, म0का0 शिल्पा रंजन, म0का0 पूजा पटेल, म0का0 आंचल सरोज थाना बरगढ़, का0 सुशील कुमार, का0 त्रिभुवन सिंह थाना AHT आदि मौजूद रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 07 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(1).उ0नि0 श्री जटाशंकर शुक्ला मय हमराह आरक्षी विशाल यादव थाना बहिलपुरवा द्वारा मु0नं0 597/2025 मु0अ0सं0 42/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त लवकुश पुत्र चुन्नीलाल निवासी ग्राम बरूई थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2).उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह मय हमराह आरक्षी अखिलेश तोमर थाना भरतकूप द्वारा मु0सं0 652/2018 एनसीआर नं0-171/2017 धारा 323,504,506 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त रमेश पुत्र मोतीलाल पाल निवासी भगवतपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3).उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह आरक्षी अजीजउद्दीन व पीआरडी मूलचन्द थाना मानिकपुर द्वारा मु0अ0सं0 253/2007 धारा 323/325 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त लालमन कोल पुत्र लालता कोल नि0 ग्राम गिदुरहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट व अ0सं0 158/2020 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के वारंटी अभियुक्त रामकलेश पुत्र स्व0 रामानन्द नि0 जिगनवा गिदुरहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4).उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव मय हमराह आरक्षी नितेश पाण्डेय थाना पहाडी द्वारा मु0नं0 1575/2020 अ0सं0 53/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त ओंकारनाथ पुत्र छोटेलाल यादव निवासी ज्वाला पुरवा मजरा कादरगंज जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). उ0नि0 श्री इमरान खान मय हमराह आरक्षी शुभम त्रिपाठी थाना मऊ द्वारा 1. मु0नं0 95/19 अ0सं0 66/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम 2.मु0नं0 02/21 अ0सं0 263/20 धारा 457/380/411 भादवि क्रमशः अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र रमेश तिवारी निवासी ग्राम परदवां थाना मऊ जनपद चित्रकूट 2.महन्तलाल पुत्र पतीलाल निवासी ग्राम मनकुंवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). आज दिनांक 18.10.2026 को माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन एफ.टी.सी. चित्रकूट के आदेश के अनुपालन में आबकारी अधिनियम से संबंधित कुल 35 मुकदमों (31 अभियोग माल मुकदमाती व 04 अभियोग निर्णीत शुदा) के माल का विनष्टीकरण किया गया।

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार गठित समिति जिसमें अभियोजन अधिकारी चित्रकूट, क्षेत्राधिकारी राजापुर, जिला आबकारी अधिकारी चित्रकूट, आबकारी निरीक्षक चित्रकूट, फौजदारी लिपिक तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रकाश यादव थाना सरधुआ की मौजूदगी में नियमानुसार नमूना शेष रखते हुए विहित प्रक्रिया अपनाकर माल को गड्ढे में दबाकर व जलाकर विनष्ट किया गया।संपूर्ण विनष्टीकरण की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करायी गयी।